

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.पत्र./334/2012

दर्ज दिनांक:-17.10.2012

1. महावीर पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. मन्जू देवी पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दिनेश शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक



निर्णय

दिनांक:-06.02.2018

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है मूलदावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी इसी स्टेज पर अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर